

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(अनुभाग-3, महात्मा गांधी नरेगा)



क्रमांक एफ 10(10)ग्रावि/नरेगा/एलडीसी/2013 पार्ट-1/71335

जयपुर, दिनांक

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम,  
समस्त राजस्थान।

22 NOV 2018

विषय :- कनिष्ठ लिपिकों की प्रतिनियुक्ति महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत किये जाने बाबत।

प्रसंग :- विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 25.10.2018  
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक आदेश के द्वारा जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतों में नियुक्त कनिष्ठ लिपिकों की प्रतिनियुक्ति महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत तत्काल प्रभाव से की गई है।

उक्त आदेश के क्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि कनिष्ठ लिपिकों के भुगतान के संबंध में प्रशासनिक मद 6 प्रतिशत सीमा की बाध्यता नहीं होगी।


भवदीय,

  
(राजेश्याम शर्मा)

वित्तीय सलाहकार, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायतीराज विभाग।
3. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग, जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, पंचायतीराज विभाग।
6. वित्तीय सलाहकार, ईजीएस।
7. अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम) ईजीएस।
8. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
9. विकास अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी, पंचायत समिति समस्त राजस्थान।
10. रक्षित पत्रावली।

  
लेखाधिकारी, ईजीएस